



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]  
No. 312]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2014/माघ 21, 1935  
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2014/MAGHA 21, 1935

शहरी विकास मंत्रालय  
(दिल्ली प्रभाग)  
शुद्धि-पत्र  
नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2014

का.आ. 374(अ).—शहरी विकास मंत्रालय के असाधारण राजपत्र की दिनांक 30 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 2965(अ) के अंग्रेजी पाठ में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र अधिसूचित किया जाता है।

दिनांक 30-9-2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 2965 तालिका के कालम 2 में "क्षेत्रफल (हे. में)" शब्द को "क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)" पढ़ा जाए।

प्रधान अधिसूचना दिनांक 30-9-2013 के का. आ. 2965(अ) द्वारा अधिसूचित की गई थी।

[फा. सं. के-13011/15/2013-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(DELHI DIVISION)  
CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th February, 2014

S.O. 374 (E).— The following corrigenda is notified in English version of Ministry of Urban Development's Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 2965 (E) dated 30th September, 2013:

The word "Area (in ha.)" at Col. 2 of Table in Notification S.O. No. 2965 (E) dated 30.9.2013 shall be read as "Area (in sq. m)".

The principal Notification was notified *vide* S.O. 2965(E) dated 30-9-2013.

[F.No. K-13011/15/2013-DD-1]

SUNIL KUMAR, Under Secy.